अनुदान संख्या 70 – कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 70–MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*8,00*		*6,48,00*	*6,07,80*	*–40,20*
पूरक	*Supplementary*	*6,40,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*23,53*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	251,72,00		251,74,00	223,25,08	–28,48,92
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					27,11,58
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*9,00,00*	*9,00,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–			7,15,00	2,07,34	–5,07,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,99,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services				
मू.	O.	3810.00	3553.64	3586.93	+33.29
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–257.36			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014" न्याय प्रशासन	Major Head "2014" Administration of Justice					
मू.	O.	2570.00		2909.42	2898.31	–11.11
पु.	R.	339.42				
मुख्य शीर्ष "2051" लोक सेवा आयोग	Major Head "2051" Public Service Commission					
मू.	O.	1818.00		1415.87	1394.64	–21.23
पु.	R.	–402.13				
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police					
मू.	O.	10330.00		10912.60	10776.48	–136.12
पु.	R.	582.60				
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services					
मू.	O.	6644.00		3669.89	3667.91	–1.98
पु.	R.	–2974.11				

(I) 589.75 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें 579.75 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2070" - "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग" के अंतर्गत व्यय को प्रभारित व्यय में संपरिवर्तित किए जाने के लिए स्वीकृत निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" के अंतर्गत 223.96 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 3774.00 लाख रु.

(I) Provision of Rs.589.75 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.579.75 lakhs alone accounted for under Major Head "2070" – "Vigilance – Central Vigilance Commission" – due to surrender of voted funds for conversion of expenditure into charged expenditure.

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions"-saving of Rs.223.96 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.3774.00 lakhs

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल सेवा अधिकारियों के संस्थान भवन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करने में विलंब होने तथा साथ ही योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2004) was due to delay in commencement of construction work of Civil Services Officers Institute building and also on account of reduction of provision at revised estimates stage by the Planning Commission/ Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष ''2051'' - ''कर्मचारी चयन आयोग - स्थापना'' के अंतर्गत 424.16 लाख रु. की बचत (1805.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) दैनिक भोगी कामगारों को नियमित किए जाने, कम मुद्रण कार्य किए जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त किए जाने और स्नातक स्तर (प्रारंभिक) परीक्षा, 2005 और मैट्रिक स्तर (प्रारंभिक) परीक्षा, 2004 को स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2051" – "Staff Selection Commission – Establishment" – saving of Rs.424.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1805.00 lakhs) was due to regularisation of daily wagers, less printing job undertaken, less medical claims received and postponement of Graduate level (Preliminary) Examination 2005 and Matriculation level (Preliminary) Examination 2004.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण - अन्य प्रशिक्षण स्कीमें'' के अंतर्गत 2384.34 लाख रु. की बचत (4039.28 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रद्द किए जाने, नई प्रशिक्षण स्कीम (एआईएस - मध्यावधि पाठ्यक्रम) आरंभ न किए जाने और आंशिक निधीयन की स्कीम के अंतर्गत कम संख्या में आवेदन प्राप्त किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" – "Training - Other Training Schemes" – saving of Rs.2384.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4039.28 lakhs) was due to cancellation of short term training courses, non-commencement of new training scheme (AIS – Midterm courses) and reduction of provision at revised estimates stage owing to less number of applications received under the scheme of Partial Funding.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (881.02 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (Rs.881.02 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2014'' - ''केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण-स्थापना''- 339.42 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 340.46 लाख रु. था।

(I) Major Head "2014" –"Central Administrative Tribunals – Establishment" – Rs.339.42 lakhs. Actual excess, however, was Rs.340.46 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो''- 541.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 421.74 लाख रु. था।

(II) Major Head "2055" – "Criminal Investigation and Vigilance – Central Bureau of Investigation" – Rs.541.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.421.74 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the voted portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	600.00	101.00	100.00	–1.00
पु.	R.	–499.00			

(I) "अन्य व्यय - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' के अंतर्गत 500.00 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यकलापों को आरंभ किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure –Central Bureau of Investigation" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to delay in commencement of construction activities.